PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 28 ▸ Mumbai ▸ Friday, 14 August to 20 August 2026 ▸ Weekly ▸ Pages : 8 ▸ Price : 3 Rs.

अनुसूचित जातियों के कल्याण और सुरक्षा उपायों पर

एनसीएससी ने राष्ट्रपति को दी रिपोर्ट

नई दिल्लीः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को वर्ष 2024-25 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत आयोग के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप प्रस्तुत इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपायों को लेकर अपनी सिफारिशें भी रिपोर्ट में शामिल की हैं। एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। प्रतिनिधिमंडल में आयोग के सदस्य लव कुश कुमार, वड्डेपल्ली रामचंदर, डॉ. पार्थ बिस्वास और एनसीएससी के सचिव गुडे श्रीनिवास शामिल रहे। रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया आयोग के संवैधानिक दायित्व के तहत अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आयोग से अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी उपायों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्रों को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के उपाय तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संस्थागत व्यवस्थाओं का सुचारू और प्रभावी संचालन अनुसूचित जातियों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **(शेष पेज 5 पर)**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा का किया लोकार्पण

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिकः माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। बिरला ने पुस्तक के लोकार्पण को गौरव का विषय बताते हुए कहा कि राम नाथ कोविंद की आत्मकथा संघर्ष, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की प्रेरक गाथा है। उन्होंने कहा कि सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की कोविंद की यात्रा उनकी असाधारण संकल्पशक्ति को दशार्ती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्थायी स्रोत है। ओम बिरला ने राम नाथ कोविंद के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा हासिल करने के दौरान सामने आई कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। **(शेष पेज 5 पर)**

देश में खुदरा महंगाई जुलाई में बढ़कर 4.45 प्रतिशत

नई दिल्लीः देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। गौरतलब है कि खुदरा मुद्रास्फीति दर लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही। इस वर्ष जुलाई में मुद्रास्फीति दर जून के 4.38 प्रतिशत के मुकाबले मामूली रूप से अधिक रही। खाद्य वस्तुओं की कीमतें ऊंची रहने से मुद्रास्फीति पर दबाव बना रहा। नई 2024-आधार वर्ष वाली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई श्रृंखला में यह अब तक की सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई बढ़कर 4.84 प्रतिशत, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.96 प्रतिशत हो गई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई दर पिछले महीने बढ़कर 5.52 प्रतिशत रही, जो विगत जून में 5.32 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, रेस्तरां और आवास सेवाओं, खाद्य एवं पेय तथा मादक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि रही।

महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई

मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महाराष्ट्र में अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक, सुरक्षित और सबकी सहमति वाले सुधार लागू करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वह राज्य के हर रेवेन्यू डिवीजन का दौरा करे, छात्रों से सीधे बातचीत करे और सिस्टम में बड़े बदलाव के उपायों की जानकारी देने वाली एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपे। बैठक में मौजूद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कई अहम सुझाव दिए। मुख्यमंत्री का यह फैसला हाल ही में जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) व झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच आया है। सीएम फडणवीस ने अपने सरकारी आवास 'वर्षा' में बुलाई गई एक खास बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वी. राधा इस हाई-लेवल पैनल की अध्यक्षता करेंगी। कमेटी के सदस्यों में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सदानंद दाते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह, एनिमल हसबेंडरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एन. रामास्वामी और नासिक डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेदम शामिल हैं। **(शेष पेज 5 पर)**

यूएपीए के लिए विशेष अदालत बनाएं कर्नाटक सरकार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के पास ट्रायल को वर्षों तक खींचने की छूट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह यूएपीए के तहत मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शाहिद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। शाहिद खान पीएफआई साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें अभियोजन पक्ष 707 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है, जिनमें कुछ सुरक्षित गवाह भी शामिल हैं। सीजेआई ने अपने आदेश में कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तुरंत विशेष अदालत के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। जिसमें कर्नाटक हायर ज्यूडिशियल सर्विस में एक अतिरिक्त पद का सृजन और हाईकोर्ट द्वारा तय नियमों के अनुसार जरूरी स्टाफ और अन्य संबंधित सुविधाएं शामिल हों। सभी मंजूरी दो हफ्ते में दी जानी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी को स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करेंगे, जो विशेष रूप से यूएपीए मामलों की रोजाना सुनवाई करेगा। पीठ ने आदेश दिया कि मौजूदा मामला भी विशेष अदालत को सौंपा जाएगा। पहले पीठासीन अधिकारी तीन सुरक्षित गवाहों से पूछताछ करेगा, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से, ताकि अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण सबूत अधिकतम तीन महीने में दर्ज किए जाएं। इसके बाद याचिकाकर्ता जमानत पर रिहाई के लिए नए सिरे से आवेदन करने को स्वतंत्र होगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगा समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण : सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊः हर बच्चे की सीखने की अपनी गति और जरूरत होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समय पर पहचान, शुरूआती सहयोग और अनुकूल शैक्षिक वातावरण उनकी आगे की शिक्षा को मजबूत आधार दे सकता है। इसी उद्देश्य से यूपी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को समावेशी शिक्षा की शुरूआती कड़ी के रूप में और मजबूत कर रही है। प्रदेश के 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों के साथ प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, शुरूआती हस्तक्षेप, समावेशी आंगनबाड़ी केंद्र और दिव्यांगता समावेशन जैसे विषयों पर विशेष जोर रहेगा। राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा की ओर से प्रशिक्षण के लिए लगभग 2.98 करोड़ रुपए की लिमिट जारी की गई है। इसमें मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए 17.70 लाख रुपए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए 2.80 करोड़ रुपए शामिल हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को शुरूआती स्तर पर पहचानकर उन्हें उचित सहयोग और आगे की शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर से शुरू होगी। **(शेष पेज 5 पर)**

संपादकीय

ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से पहली बार 'वंदे मातरम' गाया जाएगा

राष्ट्र 15 अगस्त, 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 10 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले इस राष्ट्रीय गीत को, इसकी यादगार विरासत के सम्मान में पहली बार लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों भारतीयों को प्रेरित करने वाले इस राष्ट्रीय गीत की गौरवशाली विरासत के सम्मान में पहली बार इसे लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा। प्रधानमंत्री के लाल किले के प्रांगण में पहुंचने के अवसर पर 'वंदे मातरम्' का गायन किया जाएगा। इसके बाद वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को पारंपरिक रूप से संबोधित करेंगे। रक्षा सचिव ने कहा कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'युवा शक्ति' को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। फूलों की सजावट में 'वंदे मातरम्' की झलक दिखाई देगी। इसके तहत एनसीसी के 2,500 लड़के-लड़कियां कैडेट्स और 'मेरा भारत' (माई भारत) के स्वयंसेवक मिलकर लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञानपथ पर 'वंदे मातरम्' की आकृति बनाएंगे। भारतीय वायु सेना का एमआई-17 हेलीकॉप्टर 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बैनर लेकर उड़ान भरेगा और लाल किले पर मौजूद लोगों पर पुष्पवर्षा करेगा। आजादी की लड़ाई के दौरान पीढ़ियों को एकजुट करने और प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को सम्मान देने के लिए 8 अगस्त, 2026 से देशभर में कई बैंड प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। देश के 343 प्रमुख स्थानों पर सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, एनसीसी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), एकीकृत रक्षा स्टाफ (आईडीएस), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और असम राइफल्स के बैंड की प्रस्तुतियां 15 अगस्त, 2026 तक जारी रहेंगी। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन बैंड प्रस्तुतियों के आयोजन स्थलों पर आम जनता के लिए प्रवेश खुला रखा गया है। वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने और जल संरक्षण के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने के लिए बनाए गए प्रांगण घेरों के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे। इसी क्रम में, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठने के लिए बनाए गए प्रांगण घेरों के नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं।

मोदी-योगी ने 'मिशन 2027' को सफल बनाने के लिए कसी कमर

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताहांत दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण और रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी ने इसे ह्यसुशासन के मार्ग पर लगातार आगे बढ़नेह्ल के लिए प्रेरणा देने वाला बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में डालते हुए नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने छह संगठनात्मक क्षेत्रों और विभिन्न मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की है। नई टीम में करीब 60 फीसदी नए चेहरों को जगह दी गई है। साफ है कि भाजपा अब मिशन 2027 को केवल नारों तक सीमित रखने की बजाय बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक संगठन को सक्रिय करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था में प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को अवध, अभिजात मिश्रा को गोरखपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह को काशी और गीता शाक्य को बृज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। राम प्रताप चौहान को पश्चिम तथा शंकर लोधी को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा ने इस बार सात की जगह आठ प्रदेश महामंत्री बनाए हैं। इसमें राजेश चौधरी को युवा मोर्चा, संजय राय को ओबीसी मोर्चा, धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा, कामेश्वर सिंह को महिला मोर्चा, प्रियंका रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा, देवेश कोरी को अल्पसंख्यक मोर्चा और शंकर गिरि को किसान मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है।

यह बदलाव महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं माना जा रहा। भाजपा की रणनीति साफ तौर पर हर सामाजिक वर्ग और हर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को चुनाव से पहले मजबूत करने की दिखाई दे रही है।

मोर्चों और क्षेत्रीय समितियों के जरिए पार्टी अपने संदेश को गांव और बूथ तक पहुंचाने की तैयारी में है। नौ अगस्त से शुरू हुई तिरंगा यात्रा को भी इसी व्यापक जनसंपर्क अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने भाजपा के चुनावी सक्रियता के संकेत और मजबूत कर दिए हैं। उम्मीदवारों के साथ ही एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का सवाल भी जल्द महत्वपूर्ण होने वाला है। भाजपा के सहयोगी दलों को मोटे तौर पर अपने संभावित हिस्से का अंदाजा पहले से है, लेकिन पिछली बार चुनाव बाद एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत अहम होगी। राजभर की पार्टी पहले ही ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी के संकेत देती रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं छोड़ा है। नितिन नबीन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे और पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। यही वजह है कि योगी भी सत्ता में हैट्रिक लगाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास रचने के लिए पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। देखा जाये तो भाजपा के लिए यह चुनाव केवल सरकार बचाने की लड़ाई नहीं बल्कि योगी मॉडल को जनादेश दिलाने की परीक्षा भी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के जरिए भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा भी संगठन में ओबीसी, दलित, महिला, युवा और किसान मोर्चों को सक्रिय करके सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी में है। चुनावी राजनीति जैसे-जैसे गर्म होगी, संवेदनशील मुद्दों पर भाजपा और विपक्ष के बीच टकराव भी बढ़ने के आसार हैं। भाजपा की रणनीति केवल संगठन और टिकट तक सीमित नहीं रहने वाली। बताया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बढ़ाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राज्य में अधिक से अधिक कार्यक्रम कराने की योजना है। यानी आने वाले महीनों में यूपी भाजपा का चुनावी अभियान संगठन, सरकार और केंद्रीय नेतृत्व, तीनों मोर्चों पर एक साथ दिखाई देगा। देखा जाये तो राजनीतिक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा 2027 की लड़ाई को समय से पहले शुरू करना चाहती है। संगठन में नए चेहरों की एंट्री, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, संभावित टिकटों पर सर्वे, युवाओं और महिलाओं को अवसर, एनडीए में सीटों का गणित और मोदी-योगी की जोड़ी को केंद्र में रखकर अभियान, इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो भाजपा की चुनावी रणनीति की तस्वीर सामने आती है। अब असली परीक्षा यह होगी कि भाजपा अपने संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक समीकरणों को कितनी कुशलता से वोट में बदल पाती है। विपक्ष की पीडीए राजनीति के सामने भाजपा का सामाजिक विस्तार कितना असरदार साबित होता है, सहयोगी दल कितनी सीटों पर संतुष्ट होते हैं और मौजूदा विधायकों में कितनों को दोबारा मौका मिलता है, इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की चुनावी पटकथा तय करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि योगी के दिल्ली दौरे और भाजपा की नई संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन-2027 की उलटी गिनती तेज हो चुकी है। अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक कदम की निगाह 2027 के लखनऊ पर होगी।

प्यूपिल्स टाइम्स विशेष शोध-श्रृंखला

2026 का छात्र-आंदोलन : कक्षा से संसद तक नागरिक सक्रियता का नया समाजशास्त्र

भाग-3 (खण्ड-2)

पहचान से अधिक प्रक्रिया

पूर्ववर्ती अनेक आंदोलनों में जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक मतभेद अथवा राजनीतिक परिवर्तन प्रमुख विषय रहे।

2026 के प्रारंभिक छात्र आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था—

'प्रक्रिया निष्पक्ष थी या नहीं?'

समाजशास्त्र की भाषा में इसे प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural Justice) कहा जाता है। जब नागरिक यह विश्वास करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है, तब परिणाम स्वीकार करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। किंतु यदि प्रक्रिया पर ही संदेह उत्पन्न हो जाए, तो विवाद केवल परिणाम का नहीं रहता; वह संस्थागत विश्वास का संकट बन जाता है।

नेता नहीं, नेटवर्क

पूर्ववर्ती आंदोलनों में प्रायः कोई प्रमुख नेता या संगठन दिखाई देता था।

2026 के प्रारंभिक चरण में आंदोलन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के साझा अनुभवों में दिखाई दी। पुस्तकालय, छात्रावास, अध्ययन-कक्ष, टेलीग्राम समूह, व्हाट्सऐप समुदाय, एक्स और अन्य डिजिटल मंच-ये सभी आंदोलन के समानांतर संवाद-स्थल बन गए। यह नेतृत्व का नहीं, नेटवर्क आधारित सहभागिता का स्वरूप था।

नारा नहीं, दस्तावेज

इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि विद्यार्थियों ने केवल विरोध नहीं किया; उन्होंने तथ्य, आँकड़े, स्क्रीनशॉट, समय-रेखाएँ, तकनीकी प्रश्न और प्रशासनिक स्पष्टीकरण की माँग भी प्रस्तुत की।

यह भावनात्मक प्रतिरोध के साथ-साथ दस्तावेज-आधारित नागरिक सक्रियता का उदाहरण भी था।

डिजिटल भारत का नया नागरिक

2026 का विद्यार्थी केवल परीक्षार्थी नहीं है; वह डिजिटल शासन का प्रत्यक्ष सहभागी भी है। वह ऑनलाइन आवेदन करता है, डिजिटल प्रवेश-पत्र प्राप्त करता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा

देता है और परिणाम भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त करता है। स्वाभाविक है कि उसकी अपेक्षाएँ भी डिजिटल पारदर्शिता से जुड़ी हों। इसलिए यह आंदोलन केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि डिजिटल लोकतंत्र में नागरिक विश्वास का भी अध्ययन बन जाता है।

Pupils Times का विश्लेषण

इतिहास किसी आंदोलन का अंतिम निर्णय उसी समय नहीं देता जब वह घटित हो रहा होता है। उसका मूल्यांकन समय, शोध और दीर्घकालिक प्रभावों के आधार पर होता है। फिर भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि 2026 का छात्र आंदोलन भारतीय छात्र आंदोलनों की परंपरा में एक नई प्रवृत्ति का संकेत देता है।

यदि स्वतंत्रता आंदोलन ने राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया, यदि जेपी आंदोलन ने शासन की जवाबदेही का, यदि मंडल आंदोलन ने सामाजिक प्रतिनिधित्व का, तो 2026 का छात्र आंदोलन संस्थागत विश्वास, प्रक्रियात्मक न्याय और पारदर्शिता को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाता हुआ दिखाई देता है। संभव है कि आने वाले वर्षों में इतिहासकार इसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से करें। किंतु यह निर्विवाद है कि इस आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है:

क्या इक्कीसवीं सदी के भारत में किसी भी सार्वजनिक संस्था की वैधता अब केवल उसके निर्णयों से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता से भी निर्धारित होगी?

यही प्रश्न इस आंदोलन को भारतीय छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

अगले अध्याय में...

प्यूपिल्स टाइम्स

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का निर्देश

147 स्थानकों का PPP मॉडल से पुनर्विकास, एसटी के बस स्टैंड की इमारतें हों आयकॉनिक

मुंबईः महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों की जीवनरेखा कही जाने वाली एसटी महामंडल की जमीनों का अब PPP यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए विकास होगा। एक समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन जगहों पर बनने वाले नए बस स्टैंड और इमारतें न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों बल्कि 'आयकॉनिक' हों। सह्याद्री अतिथिगृह में एसटी की जमीनों के विकास को लेकर हुई समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री शिंदे ने विस्तार से चर्चा की। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भी मौजूद थे। बैठक में एसटी महामंडल के प्रबंध निदेशक माधव कुसेकर ने प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि एसटी रोजाना करीब 55 लाख यात्रियों का परिवहन करती है। बेड़े में 15,500 से ज्यादा बसें हैं और पूरे राज्य में बस स्टैंड और आगारों का बड़ा नेटवर्क है। लेकिन कई बस स्टैंड की इमारतें 40 साल से ज्यादा पुरानी हैं। पुरानी सुविधाओं के कारण यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए 'महाराष्ट्र एसटी 2.0' के तहत आधुनिक, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित बस स्टैंड विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। पहले चरण में 147 बस स्टैंड और एसटी की जमीनों का PPP मॉडल पर विकास किया जाएगा। इसके तहत आधुनिक बस पोर्ट, यात्री सुविधाएं, कार्यालय, अस्पताल, सिनेमा हॉल, नागरिक सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा और एसटी की इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग चार्जिंग व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ऊर्जा खर्च व कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। इस मॉडल में एसटी महामंडल की जमीन की मालिकी एसटी के पास ही रहेगी। जमीन स्थायी रूप से ट्रांसफर नहीं की जाएगी। विकास का 100% खर्च डेवलपर करेगा, इसलिए सरकार या महामंडल पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। डेवलपर से एसटी को अग्रिम प्रीमियम और नियमित वार्षिक किराया मिलेगा। ढढढ प्रक्रिया में पारदर्शी ई-निविदा, एस्क्रो अकाउंट से फंड नियंत्रण, सुरक्षा जमा और 5 साल का दोष दायित्व काल रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर सख्त

खाली पदों पर भर्ती और लंबित प्रमोशन जल्द पूरा करने के निर्देश

मुंबईः महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विभागीय कामकाज में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए रिक्त पदों पर भर्ती और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कामकाज का सीधा संबंध आम नागरिकों के स्वास्थ्य से है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में विभाग के स्थापना संबंधी विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान गट-क और गट-ड संवर्ग की नई भर्ती की स्थिति के साथ-साथ अलग-अलग संवर्गों में खाली पदों की जानकारी ली गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर कर्मचारियों की कमी है, वहां तत्काल आवश्यक मानवबल उपलब्ध कराया जाए। जिन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन्हें बिना अनावश्यक देरी के पूरा किया जाए। बैठक में अधिपरिचारिका संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं, परिवीक्षा अवधि पूरी करने और पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति प्रस्तावों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने और प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सेवाकाल में समय पर पदोन्नति और आगे बढ़ने का अवसर मिलना जरूरी है। बैठक में तालुका स्वास्थ्य अधिकारी पद के कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी संवर्ग में मलेरिया कर्मचारियों को पदोन्नति के जरिए नियुक्ति देने से जुड़ी प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने विभागीय प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

महाराष्ट्र में 526 अनधिकृत स्कूल, सिर्फ 43 बंद

429 को नोटिस के बाद केवल 8 से वसूला जुर्माना

मुंबईः महाराष्ट्र में अनधिकृत स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनके खिलाफ शिक्षा विभाग की कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी है। राज्य में कुल 526 अनधिकृत स्कूल सामने आए हैं। इनमें से केवल 155 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 429 स्कूलों को दंडात्मक नोटिस जारी करने के बावजूद महज 8 स्कूलों से ही जुमार्ना वसूला जा सका है। शिक्षा संचालनालय (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में सामने आए 526 अनधिकृत स्कूलों में से केवल 43 स्कूलों को बंद किया गया है। इनमें सबसे अधिक अनधिकृत स्कूल मुंबई विभाग में हैं। मुंबई विभाग में 452 अनधिकृत स्कूल पाए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 23 स्कूलों पर बंद करने की कार्रवाई हुई है। इसी तरह पुणे विभाग में 53 में से 14 और नागपुर विभाग में 11 में से 5 अनधिकृत स्कूल बंद किए गए हैं। नाशिक विभाग में 4, छत्रपति संभाजीनगर में 4 और अमरावती विभाग में 2 अनधिकृत स्कूल पाए गए हैं। सरकारी नियमों के अनुसार बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के साथ मामला दर्ज करने का प्रावधान है। इसके बावजूद 429 स्कूलों को दंडात्मक नोटिस जारी किए जाने के बाद भी केवल 8 स्कूलों से जुमार्ना वसूल हो सका है। इससे शिक्षा विभाग की कार्रवाई में बरती जा रही कथित उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई संस्थाएं आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) मिलने के बाद अंतिम मान्यता मिलने से पहले ही स्कूल शुरू कर देती हैं। इसके कारण राज्य में अनधिकृत स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की शुरूआत में ही सभी अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग इन निदेशों पर कितनी तेजी से अमल करता है।

महाराष्ट्र में स्कूल बस सुरक्षा नियमों पर भ्रमः बस एसोसिएशन ने उठाए सवाल

18 अगस्त को होगी कोर्ट में सुनवाई

मुंबईः स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र में नियमों की स्पष्टता और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने आरोप लगाया है कि नियम बनाने वालों को ही कई प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके चलते परिवहन विभाग के अधिकारी अपनी-अपनी व्याख्या के अनुसार नियम लागू कर रहे हैं। अनिल गर्ग के मुताबिक, स्कूल बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र से लेकर बसों में लगाए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों तक को लेकर अलग-अलग आरटीओ कार्यालयों की राय अलग है। इससे स्कूल बस संचालकों और चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि एक ही नियम की अलग-अलग व्याख्या होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। गर्ग ने दावा किया कि वर्ष 2011 से अब तक स्कूल बसों से जुड़े सुरक्षा नियमों में करीब 20 बार बदलाव किया जा चुका है। उनका आरोप है कि हर बार मंत्री बदलने के साथ सुरक्षा नियमों में भी बदलाव कर दिए जाते हैं। इससे स्कूल बस संचालकों के लिए लगातार नए नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार नए नियम लागू करने के बजाय मौजूदा नियमों को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, नियम ऐसे होने चाहिए जिन्हें परिवहन विभाग के सभी अधिकारी एक समान तरीके से लागू करें और बस संचालकों को भी उनके पालन में परेशानी न हो। अनिल गर्ग ने आरोप लगाया कि सुरक्षा नियमों में बार-बार होने वाले बदलावों का फायदा बस निमार्ताओं को पहुंचता है। नए उपकरण और तकनीकी बदलाव लागू होने के कारण बसों की लागत बढ़ती है, जिसका असर अंततः स्कूल बसों के किराये पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस वजह से अभिभावकों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। गर्ग के अनुसार, स्कूल बस सुरक्षा नियमों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को अदालत के समक्ष रखा जा चुका है। मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होने वाली है। एसोसिएशन को उम्मीद है कि सुनवाई के दौरान नियमों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। स्कूल बसों में सीट बेल्ट के प्रावधान को लेकर भी अनिल गर्ग ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि सुरक्षा नियम लागू करते समय उनकी व्यावहारिकता और जमीनी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बस संचालकों के लिए नियमों का पालन भी स्पष्ट और संभव हो।

मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान नहीं रखने वाले ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे : मंत्री सरनाईक

मुंबईः महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को घोषणा की कि अगर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरकार बुधवार को एक आधिकारिक सरकारी आदेश जारी करने जा रही है, जिससे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 लागू हो जाएंगे। संशोधित नियमों के तहत, जिन ड्राइवरों को मराठी बोलने का व्यावहारिक कौशल या काम-चलाऊ ज्ञान नहीं है, उन्हें पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर कोई ड्राइवर उस महीने के भीतर भाषा नहीं सीख पाता है, तो उनके लाइसेंस का अधिकार तीन महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंशन के बाद भी नियमों का पालन न करने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।कानून और न्याय विभाग ने इस कानूनी कार्रवाई को लागू करने के लिए परिवहन विभाग के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। मंत्री सरनाईक ने साफ किया कि यह आदेश 1989 के एक मौजूदा नियम पर आधारित है, जिसे पहले अधिकारियों ने सख्ती से लागू नहीं किया था। उन्होंने कहा, यह कानून 1989 का है और इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में काम करने के लिए मराठी जानना जरूरी है।

महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के उप-नियम (4) में संशोधन करके और मराठी भाषा का कामचलाऊ ज्ञान वाक्यांश जोड़ा गया है। ड्राइवर ऑथराइजेशन चाहने वाले आवेदकों को अब अन्य पात्रता शर्तों के साथ-साथ मराठी में व्यावहारिक दक्षता भी दिखानी होगी। नए जोड़े गए नियम 22(3ए) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली ऐप-आधारित मोटर कैब चलाने वाले ड्राइवरों के पास मराठी का कामचलाऊ ज्ञान होना जरूरी है। लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे पहली बार नियमों का पालन न करने पर ड्राइवर के लाइसेंस ऑथराइजेशन को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं और बार-बार नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस ऑथराइजेशन को हमेशा के लिए रद्द कर सकते हैं। नियम 78 के उप-नियम (2) में क्लॉज (सी) के बाद क्लॉज (डी) जोड़ा गया है, जिससे परमिट धारकों के लिए भी मराठी का कामचलाऊ ज्ञान जरूरी हो गया है। संशोधित नियम 85(1) के तहत, कैब और टैक्सी परमिट को रिन्यू कराने के लिए स्थानीय परिवहन प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार मराठी भाषा में व्यावहारिक दक्षता का प्रमाण देना अब एक जरूरी शर्त है। परिवहन विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि ये अपडेट्स असल में बदले हुए नियम हैं। मंत्री सरनाइक ने कहा कि नियमों में किए गए इन बदलावों से 1989 के नियमों में मौजूद उन कमियों को दूर किया गया है, जिनका फायदा पहले गैरमराठी ड्राइवर कानूनी विवादों के दौरान उठाते थे। ड्राइवर और यात्रियों के बीच आसानी से बातचीत और साफ समझबूझ के साथ-साथ राज्यभर में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए भाषा की बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है।

सरकारी वाहनों में विशेष पंजीकरण नंबर के लिए नहीं दिया जाएगा अतिरिक्त धनः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकारी वाहनों के लिए विशेष पंजीकरण नंबर लेने पर होने वाला अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन नहीं करेगी। इस तरह का खर्च राज्य के खजाने से करने का कोई प्रावधान नहीं है।

अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के मकसद से सरकार ने यह पहल की है। महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, यह संज्ञान में आया है कि सरकारी कार्यालय विशेष पंजीकरण (आरटीओ विशेष नंबर) हासिल करने के लिए काफी राशि खर्च कर रहे हैं जबकि सरकारी वाहनों के लिए ऐसे विशेष नंबर लेने की अनुमति देने वाला कोई सरकारी आदेश नहीं है, इसलिए इस मद में किया गया खर्च राज्य के खजाने से नहीं दिया जा सकता। परिपत्र में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी या कार्यालय सरकारी वाहन के लिए विशेष नंबर हासिल करने पर राशि खर्च करता है तो उस खर्च की भरपाई के लिए किसी भी परिस्थिति में सरकारी धन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग ने कहा कि सरकार पहले ही वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव, ईंधन और चालकों के वेतन सहित वाहन संबंधी मदों पर काफी धन खर्च करती है। ऐसे में समग्र व्यय में बचत की नीति को ध्यान में रखते हुए वाहन संबंधी खर्च को केवल आवश्यक मदों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

यह निर्देश राज्य सरकार के सभी विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वैधानिक एवं स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होगा।

कुर्ला भूस्खलन हादसा

मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हुई, सात घायल

■ मेयर रितु तावड़े पहुंची घटनास्थल ■ मुआवजे का किया ऐलान

गौरव सिंह/प्यूपिल्स टाइम्स

मुंबईः मुंबई के कुर्ला इलाके में कुर्ला (पश्चिम) स्थित अशोक नगर के हिल नंबर 3 इलाके में अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। इस भूस्खलन के चलते पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा नीचे बने 2 से 3 घरों पर आ गिरा। हादसे के वक्त लोग अपने घरों में मौजूद थे, जिससे कई लोग मलबे के नीचे दब गए और भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया। मेयर ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और ग्राउंड जीरो पर तैनात टीमों को दिशा-निर्देश दिए।

कुर्ला भूस्खलन के पीड़ितों के लिए मुआवाजे का ऐलान

■ कुर्ला में हुए भुस्खलन के पीड़ितों को त्वरित राहत पहुंचाते हुए बीएमसी मेयर ऋतु तावड़े ने मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपए की चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाएगी।

तंग गलियां बनीं बचाव कार्य में रोड़ा

■ बीएमसी मेयर रितु तावड़े ने बताया कि दुर्घटना स्थल का भौगोलिक इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां तक जाने वाला रास्ता बेहद संकरा और तंग है, जहां से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पैदल गुजर सकता है। इस वजह से राहत और बचाव कार्य में भारी मशीनों को ले जाना नामुमकिन साबित हो रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (इटउ), मुंबई फायर ब्रिगेड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (ठऊफ), मुंबई पुलिस और '108' एम्बुलेंस सेवा और दूसरी एजेंसियां बचाव कार्य में कोशिश कर रही हैं।। मलबे को हाथों और छोटे उपकरणों की मदद से हटाने का काम जारी है।

नवी मुंबई वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाए जाने की संभावना

नवी मुंबईः नवी मुंबई में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ने वोटर लिस्ट से हजारों वोटर्स के नाम हटाए जाने की चिंता बढ़ा दी है। यह वेरिफिकेशन प्रोसेस वोटर रिकॉर्ड को अपडेट और ऑथेंटिकेट करने के लिए किया जा रहा है। वोटर्स से 17 अगस्त तक जरूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने को कहा गया है। अधिकारियों ने कैंपेन को कम रिस्पॉन्स मिलने पर चिंता जताई है। जो वोटर्स जरूरी प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें तय वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत वोटर रोल में अपना नाम बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रोसेस का मकसद वोटर रोल में डुप्लीकेट एंट्री, शिफ्टेड वोटर्स और दूसरी गलतियों जैसी गड़बड़ियों की पहचान करना है। अधिकारियों ने एलिजिबल वोटर्स से डेडलाइन से पहले रक्फ़ प्रोसेस पूरा करने और यह वेरिफाई करने की अपील की है कि उनके नाम और डिटेल्स सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं।इस रिवीजन का नवी मुंबई में वोटर रोल पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है, और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद हजारों नाम हटाए जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में पुरानी इमारतों को नए यूटिलिटी कनेक्शन के लिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और परमिट की जरूरत

महाराष्ट्र में पुरानी बिल्डिंग्स के मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अब नया पानी, ड्रेनेज या दूसरी यूटिलिटी कनेक्शन लेने के लिए बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रक्चरल सेफ्टी साबित करना जरूरी होगा। राज्य के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पुरानी बिल्डिंग्स को यूटिलिटी कनेक्शन देने के लिए एक जैसा प्रोसेस लागू किया गया है।

स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरीः नए पानी या ड्रेनेज कनेक्शन के लिए अप्लाई करते समय, संबंधित बिल्डिंग का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन परमिट और एक वैलिड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा।कनेक्शन को मंजूरी देने से पहले, संबंधित इंजीनियर इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा। यह भी वेरिफाई किया जाएगा कि बिल्डिंग वऊढफ और टफ्ळढ एक्ट के नियमों के मुताबिक है या नहीं।

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की भी जांच होगीः इसके अलावा, यह भी जांचा जाएगा कि बिल्डिंग में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट और बायो-स्लज मैनेजमेंट के लिए काफी जगह है या नहीं।फीज़िबिलिटी रिपोर्ट में इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि इन सुविधाओं के निर्माण से संबंधित बिल्डिंग या आस-पास की बिल्डिंगों को कोई खतरा तो नहीं होगा।

सभी शहरी लोकल बॉडीज के लिए एक जैसे नियमः नए प्रोसेस से राज्य के सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में यूटिलिटी कनेक्शन अप्रूवल के लिए एक जैसे नियम आएंगे।राज्य सरकार ने सभी शहरी लोकल बॉडीज को निर्देश दिया है कि वे तय शर्तें और डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद पुरानी बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस करें। इस फैसले का मकसद बिल्डिंग्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण के नियमों का पालन करना और यूटिलिटी कनेक्शन अप्रूवल देने के प्रोसेस में एक जैसापन लाना है।

बीएमसी की नई पहल

3 दिनों में मिलेगा जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र, 25 दिनों में होंगे सुधार कार्य

मुंबईः मुंबई में बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाणपत्र बनाने का काम आसान नहीं माना जाता है। इसके लिए बीएमसी कार्यालय के चक्कर काटने होते हैं। हाल ही में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया था कि 87 हजार से अधिक जन्म प्रमाणपत्र बांग्लादेशियों का बनाया गया है और इसमें बीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी की भी मिलीभगत है। इसके बाद बीएमसी प्रशासन ने जांच शुरू की, पर कई लाख बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाणपत्र व विवाह प्रमाणपत्र की मंजूरी मिलने में देरी होने लगी। कई लोगों ने कहा कि इससे उनके वीजा व पासपोर्ट बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को देखते हुए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने कहा था कि इसका जल्द समाधान अब निकाला जाएगा। बीएमसी ने जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र से जुड़ी सेवाओं को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराने के बाद नागरिकों को प्रमाणपत्र के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीएमसी के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाणपत्र महज 3 कार्यालयीन दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा। जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम जोड़ने के साथ माता-पिता के नाम, पते, जन्मतिथि और लिंग संबंधी गलतियों को ठीक कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा मृत्यु प्रमाणपत्र में सुधार तथा पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र को नए क्यूआर कोडयुक्त प्रमाणपत्र में बदलने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बच्चे का नाम जन्म के 15 वर्ष के भीतर प्रमाणपत्र में दर्ज कराया जा सकेगा।

पेट फूलना हर बार गैस ही नहीं, आखिर क्यों होती है ये दिक्कत?

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

क्या खाना खाने के बाद आपका भी पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और अक्सर पेट में दर्द बना रहता है? अगर ऐसा कभी-कभार होता है तो इसकी वजह ज्यादा खाना, गैस या कब्ज जैसी सामान्य समस्या हो सकती है। लेकिन अगर पेट बार-बार फूलता है और ये दिक्कत कई दिनों तक बनी रहती है या इसके साथ दर्द, कब्ज, दस्त, वजन कम होने जैसी समस्याएं भी हो रही हैं तो इसे केवल गैस समझकर टालना ठीक नहीं है।

पेट फूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में चल रही किसी प्रक्रिया का संकेत हो सकता है। कई बार आंतों में जरूरत से ज्यादा गैस बनने या भोजन के पाचन के दौरान गैस बनने से ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को दूध जैसी चीजों को पचाने में परेशानी होती है, इसके कारण भी पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है। यदि आपको भी बार-बार ये समस्या रहती है तो सामान्य

उपायों से भी आराम नहीं मिल रहा है तो समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, कहीं ये किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत तो नहीं है?

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) जैसी समस्याओं में ये दिक्कत देखी जाती है इसमें पेट दर्द के साथ कब्ज, दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई मामलों में लिवर की बीमारियों में पेट के भीतर तरल पदार्थ जमा हो जाता। इससे पेट का आकार लगातार बढ़ा रहता है और पैरों में सूजन या आंखों-त्वचा में पीलापन जैसे संकेत भी दिखाई दे सकते हैं।

यही कारण है कि पेट फूलने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर बीमारी की जांच और इलाज से आप गंभीर समस्याओं के खतरे को कम कर सकते हैं।

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आंतों से जुड़ी एक सामान्य समस्या है। इसमें पेट फूलने, पेट में दर्द और शौच की आदतों में बदलाव हो सकते हैं।

कुछ लोगों को लगातार कब्ज रहती है, कुछ को बार-बार दस्त होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि तनाव, खान-पान में गड़बड़ी के अलावा पेट की दिक्कतों के कारण ये समस्या हो सकती है। अगर पेट फूलने के साथ लंबे समय से पेट दर्द और शौच के तरीके में बदलाव हो रहा है, तो समय रहते डॉक्टर से मिलकर सही कारण पता करना जरूरी है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, जानिए इस दिन क्यों होती है नाग की पूजा

■ रामजी मिश्रा/प्यूपिल्स टाइम्स

भारतीय संस्कृति में त्योहारों और परंपराओं का एक गहरा महत्व है, और हर परंपरा के पीछे कोई न कोई धार्मिक, ज्योतिषीय या वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। सावन मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व भी इन्हीं में से एक है। यह दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर पर जल, दूध और शहद चढ़ाने की परंपरा है। इसके अलावा फूल, अक्षत, रोली और मिठाई भी अर्पित की जाती है। कई स्थानों पर लोग मिट्टी से नाग की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करते हैं। पूजा के बाद नाग पंचमी की कथा सुनने और आरती करने की भी परंपरा है।

नाग पंचमी की पौराणिक कथाएं और मान्यताएं

जनमेजय का सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि: सबसे प्रमुख कथा महाभारत काल से जुड़ी है। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, जिसके बाद उनके पुत्र राजा जनमेजय ने सभी नागों का नाश करने के लिए एक विशाल 'सर्प दाह यज्ञ' का आयोजन किया। इस यज्ञ में बड़े-बड़े और भयंकर नाग अग्निकुंड में जलने लगे। तब आस्तिक मुनि नामक एक ब्राह्मण ने हस्तक्षेप किया और राजा जनमेजय को समझाया, जिससे यज्ञ रुक गया और नागों की रक्षा हुई। यह घटना श्रावण मास की शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। तभी से इस दिन को नागों की रक्षा और सम्मान के लिए समर्पित माना जाता है। यज्ञ की आग को शांत करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाला था, इसी वजह से नाग पंचमी पर नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है।

भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग: एक अन्य पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग से संबंधित है। कथा के अनुसार, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया और बांसुरी भी बजाई, जिससे कालिया नाग को सबक मिला और उसने यमुना को छोड़ दिया। तभी से नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है।

समुद्र मंथन का संबंध: कुछ मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग ने रस्सी बनकर देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन में सहयोग दिया था। नागों के इस योगदान के लिए भी उन्हें सम्मान दिया जाता है।

नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र का जाप करते समय नाग देवता का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।

सर्वे नागाः प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले।
ये च हेलिमरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिताः॥
ये नदीषु महानागा ये सरस्वतिगामिनः।
ये च वापीतडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः॥

क्यों नहीं बनाते हैं नागपंचमी पर रोटी?

■ कहते हैं कि नाग पंचमी पर लोहे की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं। रोटी बनाते समय लोहे के तवे का उपयोग किया जाता है।

■ इसीलिए रोटी नहीं बनाते हैं, लेकिन बाटी बना सकते हैं।

■ कई लोग तवे को सर्फ से जोड़कर भी देखते हैं इसलिए भी तवे को अग्नि पर नहीं रखा जाता।

■ कहते हैं कि तवा राहु का प्रतीक है। अग्नि पर तवा रखने से कुंडली में राहू ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और राहू दोष भी लग सकता है।

■ नाग पंचमी पर रोटी बनाते हैं तो माना जाता है कि नागों को कठिनाइयों से दोचार होना पड़ सकता है।

■ हालांकि कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखने हैं। यदि लोहे के तवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी का भी तवा मिलता है।

■ नागपंचमी के अलावा शीतला अष्टमी पर भी तवे का उपयोग नहीं करते हैं और रोटी नहीं बनाते हैं। इस दिन बासी भोजन का सेवन किया जाता है।

■ कुछ संप्रदायों में मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा और दीवाली के दिन भी रोटी नहीं बनाई जाती है।

■ नागपंचमी के दिन किसी भी प्रकार से धारधार वस्तुओं का उपयोग भी नहीं किया जाता है। इससे नागों को कष्ट होता है।

पेज-1 का शेष

अनुसूचित जातियों के कल्याण और सुरक्षा उपायों पर...

वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के कामकाज की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ की गई व्यापक समीक्षाओं, मौके पर किए गए दौरों और परामर्शों से सामने आए प्रमुख निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा का किया लोकार्पण...

उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प का परिचायक है। उनकी जीवन यात्रा युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिरला ने कहा कि राज्यपाल के रूप में राम नाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार को नई दिशा देने का काम किया।

महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई...

बैठक में कई संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और सीनियर एजुकेशन अधिकारियों के बीच तालमेल के लिए स्पष्ट भूमिकाएं तय करना, ग्लोबल परीक्षा मॉडल्स की समीक्षा करना, मौजूदा कामकाज के तरीकों का मूल्यांकन करना और सुधार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगा समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण : सीएम योगी आदित्यनाथ...

3 अगस्त से 30 अगस्त तक जिला स्तर पर एआरपी को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स आगे ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करेंगे। प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षण में गतिविधि आधारित एवं व्यावहारिक तरीकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स आगे प्रतिभागियों को विषयों को सरल और प्रभावी तरीके से समझा सकें। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और प्री-प्राइमरी नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

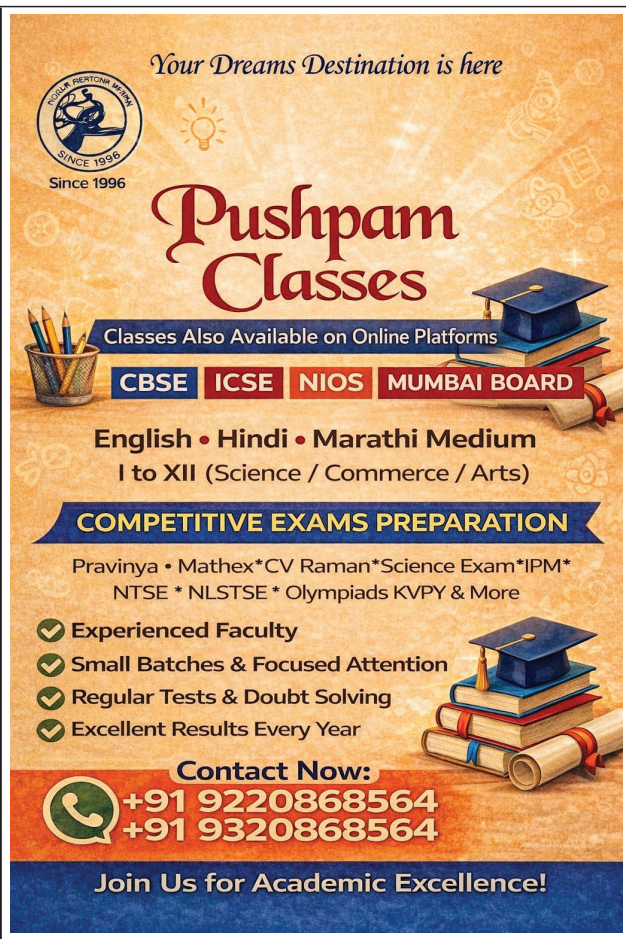

हिमालयस्य राजनीतौ पुनः श्रूयन्ते राजतन्त्रस्य स्वराः

नेपालदेशे वर्धमानायाः राजनीतिक-असन्तुष्टेः मध्ये हिन्दूराष्ट्रस्य राजतन्त्रस्य च पुनर्स्थापनायाः मागः तीव्रः

प्यूपिल्स टाइम/अन्तर्राष्ट्रीय-विशेष-अध्ययनम्

काठमाण्डू। नेपालदेशे पुनः एकवारं राजतन्त्रस्य हिन्दूराष्ट्रस्य च पुनर्स्थापनायाः विषयः राजनीतिक-विमर्शस्य प्रमुखः विषयः अभवत्। गणराज्यस्थापनायाः प्रायः द्विदशकानन्तरम् अपि देशस्य केषाञ्चित् वगार्णां मध्ये वर्तमान-राजनीतिक-व्यवस्थां प्रति असन्तोषः वर्धमानः दृश्यते। राजनीतिक-अस्थिरता, शासन-परिवर्तनानि, भ्रष्टाचारस्य आरोपाः, आर्थिक-समस्याश्च इत्येतेषां कारणेन राजतन्त्र-समर्थक-समूहाः स्वकीयाः गतिविधयः तीव्राः कृतवन्तः। राजतन्त्र-समर्थक-सङ्घटनानि राष्ट्रवादी-समूहाश्च मन्यन्ते यत् नेपालस्य पूर्वव्यवस्थायां राष्ट्रिय-एकता, सांस्कृतिक-पहिचानं स्थिरता च अधिकं सुदृढं आसीत्। ते नेपालं पुनः हिन्दूराष्ट्ररूपेण घोषितुं तथा संवैधानिक-राजतन्त्रस्य पुनर्स्थापनां कर्तुं आग्रहं कुर्वन्ति। काठमाण्डूनगरे तथा देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्य विषयस्य समर्थनार्थं रैलयः जनसभाश्च आयोज्यन्ते।

२००८ तमे वर्षे नेपालदेशे राजतन्त्रस्य समाप्तिः कृत्वा सङ्घीय-लोकतान्त्रिक-गणराज्यस्य स्थापना अभवत्। ततः परं देशेन नवीन-संवैधानिक-व्यवस्था स्वीकृता, किन्तु राजनीतिक-अस्थिरतायाः आर्थिक-कठिनतानां च कारणेन जनसमुदायस्य एकस्मिन् वर्गे असन्तोषः निरन्तरं वर्तते। अपरस्मिन् पक्षे शासनपक्षस्य लोकतान्त्रिक-दलानां च मतम् अस्ति यत् वर्तमान-संविधानं जनान्दोलनस्य उपलब्धिः अस्ति तथा च कस्यापि परिवर्तनस्य निर्णयः संवैधानिक-प्रक्रियामाध्यमेन एव भवितुम् अर्हति। विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् नेपालदेशे राजतन्त्रस्य मागः केवलं राजनीतिक-व्यवस्थायाः प्रश्नः नास्ति, अपितु राष्ट्रिय-पहिचानस्य, सांस्कृतिक-परम्परायाः, शासन-प्रणाल्याः च विषये समाजे प्रवर्तमानं व्यापकं चिन्तनम् अपि प्रतिबिम्बयति। भविष्ये एषः विषयः नेपालस्य राजनीतिं कस्मिन् दिशि नयिष्यति इति तत्रत्यजनानां लोकतान्त्रिक-प्रक्रियाणां च निर्णयेन एव निश्चितं भविष्यति।

बीमाकारक-चिकित्सालययोः संयुक्तमञ्चेन स्वास्थ्यबीमाविवादस्य समाधानम्

प्यूपिल्स टाइम/संस्कृतवार्ता

स्वास्थ्यबीमासंस्थासु चिकित्सालयेषु च निःशुल्क-प्रत्यक्षचिकित्सायाः (Cashless Treatment), दावानां निस्तारणस्य तथा चिकित्साव्ययस्य विषये दीर्घकालात्मतभेदाः सन्ति। तेषां समाधानाय उद्योगक्षेत्रे निष्पक्षसंयुक्तमञ्चस्य निर्माणस्य विचारः समुत्पन्नः अस्ति। अस्मिन् मञ्चे उभौ पक्षौ नीतिगत-व्यावहारिकसमस्यानां समाधानाय परस्परं विचारविनिमयं करिष्यतः।चार्या शिकायाः निवारणम्, चिकित्सायाः बिलप्रक्रियायाश्च मानकीकरणम् तथा निःशुल्क-प्रत्यक्षचिकित्सासुविधायाः विस्तारः प्रमुखविषयाः आसन्। उद्योगस्य मतानुसारं प्रत्येकस्य दावस्य निर्णयः बीमापत्रस्य शतीर्नां आवश्यकदस्तावेजानां च आधारेण भवेत्, परन्तु चिकित्सासम्बन्धी अन्तिमनिर्णयः चिकित्सकस्य एव अधिकारः भवेत्। बीमाशुल्के शतप्रतिशतात् १५० प्रतिशतपर्यन्तं वृद्धिः अपि परिवाराणां कृते चिन्ताजनकः विषयः अस्ति। चिकित्साव्ययवृद्धिः, दावानुभवः तथा बीमाङ्किकमूल्याङ्कनम् अस्य प्रमुखानि कारणानि सन्ति। समाधानाय डिजिटल-समन्वयः, मानकीकृता बिलव्यवस्था, विशेषज्ञपरामर्शसमितिः तथा प्रभावी नियामकव्यवस्था आवश्यकाः सन्ति। पारदर्शिन्या व्यवस्थया चिकित्सालयानां, बीमासंस्थानां, विशेषतः बीमितानां जनानां विश्वासः दृढतरः भविष्यति।

सारनाथस्य विश्वगौरवम् : यत्र बुद्धः प्रथमं धर्मोपदेशम् अददात्

तत् पवित्रस्थलम् अधुना UNESCO-विश्वविरासतसूच्यां

प्यूपिल्स टाइम/विश्वविरासत-विशेष

नवदेहली: भारतस्य प्राचीनबौद्धविरासतायै महत्त्वपूर्णं वैश्विकसम्मानं प्राप्तम्। उत्तरप्रदेशस्य प्राचीनं बौद्धस्थलं सारनाथम् २५ जुलाई २०२६ दिनाङ्के दक्षिणकोरियादेशस्य बुसाननगरे आयोजिते वठएरउड-विश्वविरासतसमितेः अष्टचत्वारिंशे अधिवेशने विश्वविरासतसूच्यां समाविष्टम्। अनेन भारतस्य वठएरउड-विश्वविरासतस्थलानां संख्या पञ्चचत्वारिंशत् अभवत्। वाराणसीनगरस्य समीपे स्थितं सारनाथं बौद्धधर्मस्य पवित्रतमेषु तीर्थस्थलेषु अन्यतमम् अस्ति। बोधिप्राप्तेः अनन्तरं भगवान् बुद्धः अत्रैव स्वप्रथमं धर्मोपदेशं 'धर्मचक्रप्रवर्तनम्' अकरोत। अत्रैव बौद्धसङ्घस्य प्रारम्भः अभवत्। अतः सारनाथस्य स्थानं बौद्धपरम्परायां विशिष्टम् अस्ति।

UNESCO-सूच्यां समाविष्टे सारनाथस्थले चौखण्डीस्तूपः तथा धमेखस्तूपः, धर्मराजिकास्तूपः, मूलगन्धकुटी-विहारः, अशोकस्तम्भः इत्यादयः महत्त्वपूर्णाः पुरातात्त्विकावशेषाः सन्ति। एते भारतस्य प्राचीनस्थापत्यस्य, आध्यात्मिकपरम्परायाः ऐतिहासिकसातत्यस्य च साक्ष्यं प्रददति। सारनाथस्य एषः वैश्विकसम्मानः केवलं एका पुरातनस्थलस्य उपलब्धिः नास्ति, अपितु भारतस्य प्राचीनज्ञानस्य, आध्यात्मिकपरम्परायाः सांस्कृतिकविरासतायाश्च विश्वपटलस्य गौरवपूर्णः उद्घोषः अस्ति।

परिसीमनस्य पेचः : तमिलनाडुराज्ये राजनैतिकैकमतस्य संकटम्

प्यूपिल्स टाइम/संस्कृतवार्ता

चेन्नै: लोकसभायाः प्रस्तावितं परिसीमनं प्रति तमिलनाडुराज्यस्य राजनीतौ मतभेदाः तीव्रतराः दृश्यन्ते। मुख्यमन्त्री सी. जोसेफ विजयः अगस्तमासस्य अष्टमे दिने चेन्नैनगरे राज्यस्य सांसदानां बैठकम् आहूय परिसीमनस्य सम्भावितप्रभावान् प्रति विचारविमर्शं कृतवान्। सभायां ५७ सांसदेषु २१ सांसदाः उपस्थिताः अभवन्। तैः लोकसभायां तमिलनाडोः वर्तमानप्रतिनिधित्वं यथावत् स्थापनीयम् इति आग्रहः कृतः। सभायां काङ्ग्रेस-दलस्य, VCK, CPI(M), CPI, MDMK, IUML इत्यादीनां दलानां सांसदाः उपस्थिताः अभवन्। किन्तु DMK तथा AIADMK दलयोः सांसदाः सभायाः बहिष्कारं कृतवन्तः। PMK तथा DMDK इत्यादीनि दलान्यपि सभायां नोपस्थितानि। DMK-दलेन सभायाः उद्देश्यम् एव प्रश्नाङ्कितम्। दलस्य सांसदया कनिमोझी करुणानिधिना एषा बैठक 'राजनैतिकं नाटकम्' इति वर्णिता। तस्याः मतानुसारं एतादृश्या गतिविध्या कावेरी-मेकेदातु इत्यादयः महत्त्वपूर्णाः विषयाः पृष्ठभूमौ गन्तुं शक्नुवन्ति। परिसीमनस्य विरोधः तमिलनाडुराज्ये नूतनः विषयः नास्ति। राज्यस्य प्रमुखाः द्रविडराजनैतिकदलाः दीर्घकालात् आशङ्कां प्रकटयन्ति यत् जनसंख्यानियन्त्रणस्य क्षेत्रे सफलानां दक्षिणराज्यानां संसदीयप्रतिनिधित्वं नूतनपरिसीमनेन प्रभावितं भवितुम् अर्हति। अधुना चुनौती केवलं केन्द्रस्य प्रस्तावस्य विरोधः नास्ति, अपितु तमिलनाडोः सर्वेषां राजनैतिकदलानां मध्ये व्यापकैकमतस्य निर्माणम् अपि अस्ति। एतदेव भविष्ये परिसीमनविवादस्य दिशां निर्णेष्यति।

गोदामैः सह भिवण्डीनगरे यातायातसङ्कटं गभीरम् अभवत्

प्रतिदिनं बहुकिलोमीटरपर्यन्तं जामः, नागरिकाः सन्तप्ताः

प्यूपिल्स टाइम/संस्कृतवार्ता भिवण्डी

भिवण्डी। भण्डारणकेन्द्राणां लॉजिस्टिक्सकेन्द्राणां च हबत्वेन प्रसिद्धे भिवण्डीनगरे अधुना यातायातसमस्या विकरालरूपं धारयति। अञ्जुरफाटा, मङ्कोली, पिम्पलस, कल्याण, राजनोली इत्यादिषु प्रमुखेषु चौराहेषु प्रतिदिनं बहुकिलोमीटरपर्यन्तं यातायातजामः भवति। अनेन वाहनचालकाः सर्वसाधारणजनाः च महतीं पीडां अनुभवन्ति।

नगरे गोदामानां लॉजिस्टिक्सकेन्द्राणां च संख्या शीघ्रं वर्धते। गुजरातः आगच्छन्ति भारवाहनानि मञ्चिचोटी-अञ्जुरफाटा-मङ्कोलीमार्गेण गच्छन्ति, परन्तु अस्य मार्गस्य कङ्क्रीटकरणकार्यम् अपूर्णम् अस्ति। अतः मार्गाः जीर्णाः सन्ति। अञ्जुरफाटासमीपे मार्गः सङ्कीर्णः भवति, रेलमार्गस्य अधः एकमार्गेण एव गमनागमनं शक्यम्।

मुम्बई-नासिकराजमार्गे पिम्पलसफ्लाईओवरस्य निर्माणम् मन्दगत्या प्रचलति। मङ्कोलीवालगावयोः नालिकासेतवः अपि सङ्कीर्णाः सन्ति, तेन यातायातः अवरुध्यते। नारपोली यातायातपुलिसस्य

कथनानुसारं कर्मचारिणः नियुक्ताः सन्ति तथापि गतानां भारवाहनानां च आधिक्यात् जामः नियन्त्रयितुं न शक्यते।

स्थानीयनागरिकाः प्रशासनात् भारवाहनानां कृते वैकल्पिकमार्गस्य, मार्गविस्तारस्य, गर्तरहितमार्गस्य च मागं कुर्वन्ति।

सतीत्वस्य अग्निशक्तिः महासत्योः शाण्डिल्याः अनसूयायाश्च अमरगाथा

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

पात्राणि: सूत्रधारः, महासती शाण्डिली, कौशिकब्राह्मणः, महासती अनसूया, माण्डव्य-मुनिः, देवगणाः, यमराजः, माता भगवती।

प्रथमं दृश्यम्-अन्धकारमयी रात्रिः

(मञ्चे गहनमन्धकारः। शाण्डिली रोगपीडितं पतिं कौशिकं स्कन्धे वहन्ती गच्छति।)

सूत्रधारः: पुरा एकस्मिन् काले सतीत्वं नारीणां दिव्यशक्तिः मन्यते स्म। कौशिकः रोगपीडितः क्रोधशीलश्च आसीत्, किन्तु शाण्डिल्यै स एव परमआराध्यः आसीत्। पत्युः सेवा तस्याः धर्मः, पतिव्रतं च अटलः संकल्पः।

(कौशिकस्य पादः तपस्यारतं माण्डव्य-मुनिं स्पृशति।)

माण्डव्यः: कः अयं, यः मम तपस्यां भङ्क्तुम् साहसं करोति?

शाण्डिली: मुनिवर! अपराधं क्षम्यताम्। इदं जानपूर्वकं न कृतम्। मम पतिः रोगपीडितः अस्ति।

माण्डव्यः: तव पतिना मम तपस्यायाः अवमाननं कृतम्। सूर्योदयसमये एव तव पतिः मृत्युम् अवाप्स्यति!

शाण्डिली: कृपया शापं निवर्तयतु।

माण्डव्यः: मुनेः वचनम् अटलम्।

(शाण्डिली दृढस्वरेण आकाशं प्रति पश्यति।)

शाण्डिली: यदि मुनेर्वचनम् अटलम्, तर्हि सतीसंकल्पोऽपि अटलः। यावत् अहं अनुमतिं न ददामि, तावत् सूर्यस्य उदयो न भविष्यति!

द्वितीयं दृश्यम् – सृष्टौ सङ्कटम्

सूत्रधारः: दश दिनानि व्यतीतानि। सूर्यः न उदितः। यज्ञाः अवरुद्धाः, ऋतवः स्थगिताः, समग्रं जगत् व्याकुलमभवत्।

इन्द्रः: एकस्याः स्त्रियाः संकल्पेन सूर्यस्य गतिरपि निरुद्धा!

ब्रह्मा: एषा सतीत्वस्य दिव्यशक्तेः प्रभावः। अस्य सङ्कटस्य समाधानं महासती अनसूया एव कर्तुं शक्नोति।

देवगणाः: वयं तस्याः शरणं गच्छामः।

तृतीयं दृश्यम् – द्वयोः महासत्योः मिलनम्

(अनसूयायाः आश्रमः।)

ब्रह्मा: माते! शाण्डिल्याः संकल्पेन सूर्यस्य उदयः निरुद्धः।

अनसूया: यत्र धर्मस्य द्वे रूपे सम्मुखे भवतः, तत्र संघर्षः न, समन्वयः आवश्यकः। अहं शाण्डिल्याः समीपं गमिष्यामि।

(अनसूया शाण्डिल्याः समीपम् आगच्छति।)

अनसूया: भगिनि! तव संकल्पः पवित्रः, किन्तु तेन जगत् सङ्कटापन्नम् अस्ति। सूर्यस्य उदयाय अनुमतिं देहि। अहं स्वसतीत्वबलेन तव पतिं पुनर्जीवितं स्वस्थं च करिष्यामि।

शाण्डिली: यदि भवत्याः वचनम् अटलम्, तर्हि अहं स्वसंकल्पं लोककल्याणाय समर्पयामि। हे सूर्यदेव! उदयस्व!

(सूर्यः उदेति। कौशिकः भूमौ पतति। यमराजः प्रविशति।)

यमराजः: कौशिकस्य आयुः पूर्णम् अभवत्।

चतुर्थं दृश्यम् – सतीत्वस्य विजयः

अनसूया: हे जगदम्बे! यदि मम पतिव्रतधर्मः सत्यः, यदि मम मनो-वाक-कर्मसु धर्मनिष्ठा अस्ति, तर्हि कौशिकाय पुनर्जीवनं देहि, तस्य रोगान् नाशय, तं दीर्घायुष्मन्तं च कुरु।

माण्डव्यः: असम्भवम्! मम शापः अटलः!

अनसूयाः मुनिवर! तपसा शक्तिः लभ्यते, किन्तु विनयः तस्याः शक्तेः भूषणम्।

(दिव्यप्रकाशः। शङ्खध्वनिः। माता भगवती प्रकटते।)

भगवती: अनसूये! तव सतीत्वे सत्यं, तव संकल्पे धर्मः, तव करुणायां दिव्यता च अस्ति। अद्य तव तपसा मृत्युरपि पराजितः।

(कौशिकः स्वस्थः भूत्वा उत्थाय तिष्ठति।)

कौशिकः: शाण्डिलि! त्वं केवलं मम पत्नी नासि, अपितु मम जीवनस्य आधारशक्तिः असि।

माण्डव्यः: अद्य मम अहङ्कारः विनष्टः। सतीत्वस्य वास्तविकां शक्तिं दृष्टवान्। मां क्षम्यताम्।

भगवती: यत्र नारीणां सतीत्वं सत्येन, त्यागेन, सेवया धर्मेण च प्रकाशते, तत्र साक्षात् शक्तेः वासः भवति।

सूत्रधारः: एका स्वसंकल्पेन सूर्यं निरुद्धवती, अपरा स्वसतीत्वबलेन मृत्युमपि पराजितवती। एषा केवलं द्वयोः नार्योः कथा नास्ति, अपितु नारीशक्तेः, त्यागस्य, निष्ठायाः धर्मस्य च अमरगाथा अस्ति। यदा नारी स्वधर्मे दृढा तिष्ठति, तदा असाध्यमपि साध्यं भवति। सर्वेः जयतु महासती शाण्डिली! जयतु महासती अनसूया! जयतु जगदम्बा भगवती! जयतु नारीशक्तिः!

Big announcement by CM Shubhendu Adhikari

'Ban on 'Land Jihad' in Bengal, UCC will come soon'

Kolkata: To stop land jihad, the new BJP government of Bengal can bring a strict law (bill) on the lines of Assam to ban the buying and selling of land by people of other religions without government permission. Chief Minister Shubhendu Adhikari indicated this after the administrative review meeting in Bankura district on Tuesday. Expressing concern over incidents like forced religious conversion and land jihad (occupation of local people's land by outsiders or infiltrators), the Chief Minister said that the work of making laws in matters related to religious conversion and purchase and sale of land is a priority of his government. However, he did not clarify what kind of provisions would be made in the proposed law regarding the purchase and sale of land. Referring to various major steps taken by the state government in the last three months since the formation of the BJP government in Bengal in May, the Chief Minister said that the land has been handed over to BSF for fencing the India-Bangladesh border. The illegal list of Other Backward Classes (OBC) has been canceled and Imam-Muezzin allowance has been stopped. He also mentioned respect for cattle and ban on display of weapons during Muharram. Shubhendu said that the Uniform Civil Code (UCC) Bill will come in a few days. I have two more tasks left. Bringing law in the matter of religious conversion and buying and selling of land. He clearly said that I will do this work also. However, he did not give any information about the detailed outline of the proposed law or the time frame for its implementation. After the Chief Minister's statement, discussion has started about the system of BJP ruled neighboring Assam in the context of the proposed law regarding purchase and sale of land. The Assam government has made strict provisions regarding purchase and sale of land in certain areas and circumstances. In some cases, government permission is required to sell land to a person of another religion.

'Celebrate Independence Day with pride'

PM Modi appealed to hoist the tricolor in homes

New Delhi: The Modi government, which has been running the Tricolor in every house as a patriotic movement for years, is again in full enthusiasm and enthusiasm. The Mangal Milan meeting of NDA MPs chaired by Prime Minister Narendra Modi also appeared to be colored in the same colour. Union ministers and MPs welcomed PM Modi by waving the tricolor. At the same time, the Prime Minister issued a video message through internet media and appealed to the countrymen to celebrate Independence Day with great pomp and show and hoist the tricolor at every house. In a video message released on Instagram, Prime Minister Modi said- 'Let us all celebrate 15th August with great pomp and show. Pay tribute to the freedom fighters and take a pledge for a developed India. Tricolor in every house, tricolor in every house, tricolor in every mind. Come, let us hoist the tricolor at every house. Earlier, in the Mangal Milan meeting held in the Parliament House complex, the ministers and MPs of the NDA government welcomed the PM on his arrival by waving the tricolor and raising slogans of Vande Mataram. It is noteworthy that the Parliament has recently passed a bill to give legal protection of national honor to Vande Mataram like Jana Gana Mana and the Central Government has announced on Monday itself that the national song Vande Mataram will be sung for the first time during the Independence Day celebrations at the historic Red Fort on August 15.

Parliament Passes Bill To Rename Kerala As Keralam

New Delhi: Parliament on Wednesday passed a bill to rename Kerala as Keralam, with the Rajya Sabha clearing the

legislation with a voice vote. The Lok Sabha passed the Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, on Tuesday. The Kerala Assembly passed a resolution in 2024, urging the Centre to bring a law to change the name of the state to Keralam. The Kerala government had forwarded a resolution passed by the state assembly regarding the name change to the Centre in June 2024. Subsequently, the President of India referred a Bill to the state legislature for expressing its views, and later, the state Assembly adopted a unanimous resolution agreeing with the Bill. The Kerala (Alteration of Name) Bill provides for such alteration of the name of the state of Kerala and contains necessary amendments to the provisions of the Constitution and also consequential provisions, according to the Bill's statement of objects and reasons. Amendments will be made in the First Schedule to the Constitution by modifying the name of the state of Kerala as Keralam in accordance with Article 3 of the Constitution.

New initiative of postal department in Bengal

Students from class 6th to 9th will get scholarship of Rs 6000

Kolkata: West Bengal Circle of the Department of Posts has invited applications for scholarship under Deendayal Sparsh Scheme 2026-27 to promote philately as an academic and creative interest among students. Under this scheme, scholarships will be given to students of classes six to nine from Bengal, Sikkim and Andaman and Nicobar Islands. A statement said that a total of 40 students will be selected under the scheme. 10 students from each class will get a scholarship of Rs 6,000 annually. The scholarship amount will be sent directly to the Post Office Savings Bank or India Post Payments Bank account of the selected students every quarter. Students studying regularly in classes six to nine can apply for the scheme. It is necessary to have at least 60 percent marks for general category students and at least 55 percent marks for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in the last annual examination. The applicant must be a member of the School Philately Club or have an active Philately Deposit Account. The objective of the scheme is to generate interest in philatelic collecting among the students and encourage them to acquire information related to history, culture, art and general knowledge through it. The process of selection of students will be in two phases. In the first phase, written philatelic quiz will be conducted in the regional post offices on 30 September 2026 at 11 am. Successful students will be sent to the second phase. In the second phase, the selected students will have to submit an original project of four to five pages related to philately. Based on this the final selection will be made. The application form will have to be verified by the Principal of the concerned school and submitted to the office of Inspector General of Posts of the concerned area by 21 September 2026. The application can be submitted by speed post, registered post or in person. For this, application will have to be made in the office related to Kolkata region, South Bengal region, North Bengal region, Sikkim or Andaman-Nicobar Islands Division.

Maritime security and surveillance will be strengthened, 'Shruti' joins Navy

New Delhi: An important step was taken towards the induction of new generation indigenous offshore patrol vessel 'Shruti' into the Indian Naval Fleet. Yard 3037 'Shruti' was launched at Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE), Kolkata. This ship is being designed and built in the country itself. This series of new generation offshore patrol vessels will play an important role in strengthening the maritime surveillance and rapid response capabilities of the Indian Navy. The new generation offshore patrol vessels are being prepared for anti-piracy operations, maritime surveillance, search and rescue operations, protection of critical assets at sea and humanitarian assistance and disaster relief operations. These ships will help in strengthening maritime security in

the Indian Ocean region and enhancing surveillance capability of important sea routes. The ship's name 'Shruti' is derived from the rich cultural and Vedic heritage of India. 'Shruti' refers to the four Vedas. The ship's logo depicts the constellation Ursa Major and a red and white lighthouse. The lighthouse symbolizes guidance and safety at sea, while the constellation reflects the tradition of maritime navigation and navigation. Navy's Warship Construction and Acquisition Controller Vice Admiral Sanjay Sadhu was present at the launching ceremony. Manika Sadhu launched the ship in his presence. Senior officers and other dignitaries from the Indian Navy, Defense Ministry and Garden Reach Shipbuilders and Engineers were also present on the occasion. The commissioning of 'Shruti' is another important step towards strengthening the indigenous warship building capability of the Indian Navy. The indigenous design and construction of these ships reflects India's growing indigenous shipbuilding capability. This project is in line with the 'Atmanirbhar Bharat' and 'Make in India' campaigns of the Central Government.

Fourth session of India-Namibia Joint Trade Committee concludes in New Delhi

New Delhi: The fourth session of the India-Namibia Joint Trade Committee (JTC) concluded in New Delhi today. The Ministry of Commerce and Industry said that during the meeting, both sides stressed the need to move bilateral trade from a raw material-based structure to value addition within Namibia. The discussion also stressed the need to turn the discussion into a concrete mechanism with defined responsibilities within defined timelines.

PUPILS TIMES

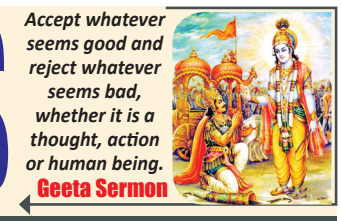

Friday, 14 August to 20 August 2026

President Draupadi Murmu approves bill making insult to Vande Mataram a crime

New Delhi: President Draupadi Murmu approved the bill that makes it a crime to intentionally obstruct or prevent the singing of the national anthem Vande Mataram. Under this law, Vande Mataram will get the same legal protection as the national anthem currently enjoys. This information was given in a statement issued by the government. With the assent of the President, the Prevention of Insults to National Honor (Amendment) Bill, 2026 has become law. This bill was passed in the Lok Sabha on July 30, 2026, while the Rajya Sabha had approved it a day earlier. Under this law, Vande Mataram has the same status as the national anthem 'Jana Gana Mana'. The Union Home Ministry said that for the first time in the Independence Day celebrations, Vande Mataram will be sung from the ramparts of the Red Fort. Earlier, under the Prevention of Insults to National Honor Act, it was prohibited to deliberately prevent the singing of the national anthem 'Jana Gana Mana' or to disrupt any assembly engaged in such singing. There was a provision of imprisonment up to 3 years, fine or both for these crimes. On the other hand, each subsequent conviction carried a minimum prison sentence of one year. However, under the old law, the national anthem Vande Mataram did not enjoy similar legal protection.

Supreme Court sought answer from the Center

Demand to bring the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose from Japan to India

New Delhi: The Supreme Court sought response from the Central Government on the petition by Netaji Subhash Chandra Bose's daughter, seeking instructions to bring his 'bones' from Tokyo's Renkoji Temple. A bench of Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V Mohana, while hearing the petition filed by Bose's daughter Anita B Pfaff, issued a notice to the Center and sought its reply. Senior advocate Abhishek Singhvi, appearing for the petitioner, said that he has consistently and publicly demanded that the mortal remains of his father be brought back for a dignified cremation. Many things are said about Netaji's disappearance in August 1945. Some reports claim

that his remains are kept safe in the Renkoji Temple in Tokyo, the capital of Japan. In March this year, the top court had refused to hear a plea filed by Netaji's nephew's son seeking to bring back Bose's "bones" from Tokyo. On this stand of the court, the lawyer of petitioner Ashish Rai had sought permission to withdraw the petition. The court had given this permission. At that time the bench had said, 'She (Bose's daughter) is not before us. If his heirs want to bring the ashes to the country then they should come before him. Senior advocate Abhishek Singhvi, appearing for the petitioner, said that he has consistently and publicly demanded that the mortal remains of his father be brought back for a dignified cremation. Many things are said about Netaji's disappearance in August 1945. Some reports claim that his remains are kept safe in the Renkoji Temple in Tokyo, the capital of Japan. In March this year, the top court had refused to hear a plea filed by Netaji's nephew's son seeking to bring back Bose's "bones" from Tokyo. On this stand of the court, the lawyer of petitioner Ashish Rai had sought permission to withdraw the petition.

Arunachal Pradesh inseparable and integral part of India : External Affairs Ministry

New Delhi: India has reiterated that Arunachal Pradesh is an indivisible and integral part of India and no one can change this indisputable reality. Addressing reporters in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in matters related to the border areas between India and China, India has always emphasized in its discussions with China that it considers these issues extremely serious. He said that maintaining peace and stability in these areas is of utmost importance for the country. The spokesperson said this was also reiterated in the

recently held 36th meeting of the working mechanism set up for consultation and coordination on India-China border matters. In this meeting, both sides openly discussed and reviewed the situation on the Line of Actual Control. The Indian side once again emphasized that maintaining peace and stability in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. Both sides agreed to continue to use existing diplomatic and military channels, including WMCC, local commander level meetings and other agreed mechanisms, to resolve outstanding issues along the Line of Actual Control and avoid misunderstandings and miscalculations. Responding to another question, Mr Jaiswal highlighted human rights violations taking place in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.

Women and Child Development Minister Annapurna Devi meets the Parliamentary delegation of the Republic of Liberia

New Delhi: Women and Child Development Minister Annapurna Devi met the Parliamentary delegation of the Republic of Liberia in New Delhi. The delegation included members of the Liberian Senate and House of Representatives, members of the Liberian Women's Legislative Committee, led by Ellen-Attoh Wreh, and representatives of UN Women. The Ministry of Women and Child Development said that the delegation will stay in the country till the 15th of this month. The program is organized in collaboration with UN Women and funded by India, Brazil and South Africa funds. During the meeting, Women and Child Development Minister Annapurna Devi emphasized India's vision of seeing women as active partners in national development. According to the ministry, the two sides held fruitful discussions on common interests and expressed commitment to further deepen cooperation between the two countries within the framework of South-South cooperation.

Keeping Organs Alive: The Remarkable Science of Normothermic Organ Perfusion

Dr. Arvind singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

For a patient awaiting an organ transplant, every moment matters. But what if a donated organ could remain viable and functioning outside the human body, giving doctors more time to assess it and prepare it carefully for transplantation? Modern medicine is turning this remarkable possibility into reality.

Normothermic Organ Perfusion (NOP) is an advanced technology reshaping the field of transplantation. Instead of placing a donated organ on ice, NOP maintains it at approximately normal body temperature while supplying it continuously with oxygenated blood or a specialized nutrient-rich solution. While traditional cold storage slows cellular activity, normothermic perfusion allows the organ to remain metabolically active, much like it would inside the body. One of the greatest advantages of this approach is the additional time it provides. During perfusion, transplant teams can closely monitor organ function, identify signs of injury, and assess whether the organ is suitable for transplantation. In selected cases, organs that might previously have been considered unsuitable can be evaluated more thoroughly and potentially used to save a life.

The technology may also help expand the donor pool. Organs affected by certain injuries or prolonged preservation can sometimes be supported, assessed, and, in selected circumstances, functionally optimized during perfusion. This could increase the number of viable organs available to patients waiting for transplantation. Normothermic perfusion has been explored in liver, kidney, heart, and lung transplantation. Its benefits and applications vary according to the organ and clinical situation. The procedure requires sophisticated equipment, specialized expertise, and careful clinical decision-making. The true significance of NOP lies not merely in preservation, but in the transformation it represents. Transplantation is moving beyond simply storing an organ until it is needed. We are entering an era in which organs can be supported, assessed, and potentially rehabilitated before transplantation.

For patients on transplant waiting lists, this offers a powerful message of hope. The future may depend not only on finding more donors, but also on making the best possible use of every suitable organ already available.

Modern medicine is learning not only to preserve donated organs, but to maintain them in a viable, functioning state until they can offer someone a new chance at life.

PUPILS TIMES

Core Committee

Shivprakash Pandey Chief Publisher

Vikas Maurya Co Publisher

Address : Shop No.3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503.
Web : pupilstimes.com

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"
POPULAR LIC PLANS:
✓ Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
✓ New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
✓ Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
✓ Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
✓ Also Available – Complete Financial Planning Guidance
KEY BENEFITS:
✓ Life Insurance + Savings Plan
✓ Child Education and Marriage Planning
✓ Retirement Planning
✓ Tax Benefits Available
भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के वाद भी"
FREE POLICY CONSULTATION

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printes, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS,** UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at :** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, artical and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - **ANIL MISRA** , Mob. : 92208 68564, **Email :** anilmisrapc@gmail.com. **PRGI. No. : MHMUL/25/A2419**